कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक–440 / FP/UK/Others/27134/2017: देहरादूनःदिनांकः 08 अगस्त, 2019.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25, सुभाष रोड, देहरादून।

विषयः– जनपद–देहरादून में मसूरी नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत मसूरी सीवरेज टैंक के अन्तर्गत आर्केडिया जोन में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के निर्माण हेतु 0.02 है0 नोटिफाईड प्राईवेट वन भूमि पर गैर वानिकी कार्यो हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को वन संरक्षण 1980 के तहत अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में। (ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UK/Others/27134/2017)

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक–8बी / यू.सी.पी. / 09 / 148 / 2018 / एफ0सी0 / 167 दिनॉक 30–04–2019.

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयॉकित वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण पर कतिपय कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी के पत्रांक 366 / 12–1 दिनांक 29–07–2019 **(संलग्नक–1)** द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई अनुपालन आख्या निम्नवत् प्रेषित की जा रही हैः–

2– **शर्त संख्या–1** के अनुपालन में सूचित करना है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 100 वृक्षों के रोपण एवं उसके दस वर्षों तक रख–रखाव हेतु धनराशि ₹ 1,21,000.00 (₹ एक इक्कीस हजार) मात्र की धनराशि तदर्थ कैम्पा कोष में ऑन–लाईन चालान के माध्यम से जमा कर दी गई है।

3. **शर्त संख्या–2** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि ₹ 13,140.00 (₹ तेरह हजार एक सौ चालीस) मात्र की धनराशि तदर्थ कैम्पा कोष में ऑन–लाईन चालान के माध्यम से जमा कर दी गई है।

4. **शर्त संख्या–3** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत की गयी है कि शुद्ध वर्तमान मूल्य में बढ़ोत्तरी होने पर बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा करा दी जायेगी। **(संलग्नक–2)**

5. **शर्त संख्या–4** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) एवं सभी निधियां कुल ₹ 1,34,140.00 (₹ एक लाख चौतीस हजार एक सौ चालीस) मात्र प्रतिपूर्ति निधि प्रबन्धन तथा योजना प्रबन्धन (CAMPA) के कॉरपोरेशन बैंक में online portal पर चालान के माध्यम से जमा कर दी गई है। **(संलग्नक–3)**

6. **शर्त संख्या–5** के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात जहाँ–जहाँ सम्भव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त पड़े स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में उपयुक्त प्रजाति के वृक्षों का रोपण किया जायेगा। **(संलग्नक–4)**

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई अनुपालन आख्या की प्रति मय संलग्नक प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि विषयाँकित प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने पर विचार करना चाहें।

<u>संलग्नःयथोपरि।</u>

भवदीय,

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षक

<u>संख्या :–440 / FP/UK/Others/27134/2017 दिनांकित।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, जनपद देहरादून।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

(ए0के0 गुप्ता)